रजिस्टी सं डी॰ एल॰-33004/99

Gazette

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

KM -

प्रभारी पत्र वितरण एक

सं 450] No. 450] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2003/भाद्र 26, 1925 NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2003/BHADRA 26, 1925

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2003

सा.का.नि. 747(अ).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नियमावली, 1997 में निम्न संशोधन करती है अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) नियम, 2003 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नियमावली 1997 (जिनका उल्लेख इसके बाद उक्त नियमों के रूप में किया जाएगा) के नियम 8 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

8. "निरीक्षण - (i)- परिषद्, उप-नियम (2) से उप-नियम (8) तक में वर्णित विधि से मान्यताप्राप्त संस्थानों का निरीक्षण कर सकती है:

- (2) परिषद्, अध्यापक शिक्षा अथवा शैक्षिक प्रशासन में ऐसे विशेषज्ञों के नामों का एक पेनल मंजूर करेगी जो कि मान्यताप्राप्त संस्थानों का निरीक्षण करने में सक्षम हों । अध्यक्ष, निरीक्षण दल में विशेषज्ञों के पेनल में कम से कम दो व्यक्ति नामित करेंगे।
- (3) परिषद्, निरीक्षण करने के अपने इरादे के सम्बन्ध में फार्म IV में एक प्रशानवली सहित संस्थान को सूचना भेजेगी और संस्थान से सम्बधित सभी विषयों पर पंद्रह दिन के भीतर जानकारी मंगाएगी ।
- (4) भरी हुई प्रश्नवाली प्राप्त होने पर परिषद्, संस्थान को निरीक्षण दल के सदस्यों के नामों और निरीक्षण की तारीख की सूचना देगी।
- (5) जिस संस्थान का निरीक्षण किया जाना है वह निरीक्षण दल के साथ सम्बद्ध किए जाने के लिए अपना एक अधिकारी अथवा कार्मिक नामित करेगा ।

2679 GI/2003

(1)

भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग 1सविल लाइन्स, दिल्ली-54

- (6) निरीक्षण दल, यह पता लगाएगा कि क्या संस्थान अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार काम कर रहा है ।
- (7) निरीक्षण दल के सदस्य यदि आवश्यक समझें तो संस्थान के संकाय सदस्यों तथा अन्य कर्मचारियों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान कर सकते हैं।
- (8) निरीक्षण दल, निरीक्षण के अन्तिम दिन के बाद पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।
- 3. उपर्युक्त नियमों में फार्म III के बाद निम्न फार्म प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात

फार्म IV [(देखें नियम 8 का उपनियम (3)]

निरीक्षण के लिए प्रश्नावली

मान्यताप्राप्त संस्थानों का निरीक्षण

(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 13 के अधीन) स्व-मूल्यांकन प्रपत्र

अध्याप	क शिक्षा संस्थान का परिचय
1.	संस्थान का नाम
2.	डाक का पता
3.	टेलीफोन नम्बर (एसटीडी कोड सहित)
4.	फैक्स नम्बर
5.	ई-मेल
6.	संस्थान की स्थापना की तारीख अस्पर्धारी ट्रिक्स र्युटी प्री11

ाहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग (सेविल लाइन्स, दिल्ली–54 7. चलाए जा रहे पाठ्यक्रम

1	2	3	4	5
पाठ्यक्रम का	स्टेज / स्तर	अवधि	पाठ्यक्रम शुरू	दाखिल किए
पूरा नाम			किए जाने का	जाने वाले छात्रों
			वर्ष	की अनुमोदित
				संख्या
1980 - 1980				
a Carrier State Barrier State				
				F

8.	विश्वविद्यालय / परीक्षा निकाय जिसके साथ संस्थान सम्बद्ध है
9.	मान्यता / अनुमति (पाठ्यक्रमवार) प्रदान करने वाले क्षेत्रीय समिति के
	आदेश की संख्या तथा तारीख
10	जम्मीदवारों के चयन की पद्धति

उम्मीद	वारों के चयन की पद्धति	
		हां नहीं
(ক)	राज्य स्तर पर केन्द्रीकृत परीक्षा	
(ख)	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा	
(ग)	संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा	
(ঘ)	किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा	
(ভ)	अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर	
(च)	प्रबन्धक वर्ग द्वारा	

11. दाखिले के लिए मानदणड

(क) अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदण्डों के अनुसार

पहायक निवंत्रक (प्रशासन)


राहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

स्कूल	मे	अभ्यास	शिक्षण	
	स्कूल	स्कूल मे	स्कूल मे अभ्यास	रकूल मे अभ्यास शिक्षण


- (क) अभ्यास शिक्षण दिवसों की कूल संख्या
- (ख) प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए अभ्यास शिक्षण पाठों की न्यूनतम संख्या

14. संस्थान में पूर्व-अभ्यास शिक्षण

(क) पूर्व-अभ्यास शिक्षण दिवसों की संख्या (प्रेरित / सूक्ष्म शिक्षण / कोई अन्य)



(ख) प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए पूर्व-अभ्यास शिक्षण पाठों की न्यूनतम संख्या



(ग) आयोजित किए गए निदर्शन पाठों की कुल संख्या


	ł	
	1	
	- 1	
	- 1	

15. परीक्षाएं

(क) प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आयोजित सत्रीय परीक्षाओं की संख्या




(ख) प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए दत्तकार्यों (एसाइनमेंट) की संख्या



(ग) वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ होने की तारीख



(घ) परिणामों की घोषणा की तारीख



(ड़ः) शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करने की तारीख (रनात्तकोत्तर पाठ्यक्रम)

16. परीक्षा की योजना

हां नहीं

(क) केवल बाह्य परीक्षा

ाहायक नियंत्रल4(प्रेशीरॉर्सन्)(। भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग १सेविल लाइन्स, दिल्ली–54

भाग ∐—खण	ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण		7
	(च)	रकमुश्त पारिश्रमिक पर सेवारत अध्यापकों की संख्या		
	(B)	एनसीटीई मानदण्डों के अनुरूप अर्हताप्राप्त अध्यापकों की संख्या		
	(ज)	ऐसे अध्यापकों की संख्या जिन्होंने अभी तक नेट / एसएलईटी में अर्हता प्राप्त करनी है		
	(झ)	ऐसे अध्यापकों की संख्या जिन्होंने शिक्षा में रनातकोत्तर डिग्री अभी प्राप्त करनी है		· ·
	(স)	ऐसे अध्यापकों की संख्या जिन्हें स्कूल अनुभव प्राप्त नहीं है		and the second
19.	अध्याप	कों की व्यावसायिक उन्नति		
	(ক)	ऐसे अध्यापकों की संख्या जिन्होंने गत वर्ष में आयोजित सेवाकालीन पाठ्यक्रमों में भाग लिया था		
	(ख)	ऐसे अध्यापकों की संख्या जिन्होंने शिक्षा में अंशकालिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में [एम.एड / एम.ए. (शिक्षा) / एम.फिल)] में दाखिला लिया है		
		ऐसे अध्यापकों की संख्या जिन्होंने शिक्षा में पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में [एम.एड / एम.ए. (शिक्षा)/एम.फिल)] में दाखिला लिया है		
		पीएच डी. कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले अध्यापकों की संख्या		
(संगोष्ठियों / सम्मेलनों में भाग लेने वाले अध्यापकों की संख्या		
(च) र	अध्यापकों द्वारा प्रकाशित लेखों की संख्या	गहायक	San 25 [4]

615

गहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

6/6

1सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

[भाग∐—खण	ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण
	(छ)	संस्थानं को वेबसाइट
	(অ)	लिक्विंड क्रिसंटल डिसप्ले (एललीडी) की उपलब्धता
	(朝)	ओवरहेड प्रोजैंक्टर (ओएचपी) की उपलब्धता
	(স)	टेलीविंजनं (टीवी) की उपलब्धता
	(군)	दृशय कैसेट रिकांडर (वीसीआर)की उपलब्धता
	(ਰ)	सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली की छपलब्धता
22.	पुरतक	ालयं संसाधन
	(ক)	पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या
	(ख)	पिछले वर्ष में पुस्तकालय की पुस्तकों में जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या
	(ग)	मंगाई जा रही शैक्षिक पत्रिकाओं / पीरियोडिकलों की कुल संख्यीं
	(ਬ)	पुस्तकालयं में उपलब्ध विश्वकोशों की संख्या
•	(ঙ়)	पुस्तकालय के सन्दर्भ खण्ड में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या
	(च)	पुस्तकालय में बैठने की कुल क्षमता
23.	खेलकू	व्य और शारीरिक शिक्षा के संसाधन
	संस्था	न के पास उपलब्ध है हां नही
•	(ক)	खेल का मैदान (फुटबाल / हाकी आदि)
2679 GI/03-2		शहायकं नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

619

राहायक नियंत्रक (प्रशासन) भःरत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

1							LADV	[PART II—SEC. 3(i)]	
12				THE GAZ	ETTE OF INDIA:	EXTRAORDIN	NARY		
		(ज)	पिछले । आकारि	वित्तीय वर्ष व मकताओं पर	हे दौरान खर्च की गई	रंकम			
	29.	(ক)	पिछले	वर्ष से अग्रेर्न	ोत की गई रक	म			
		(ख)	(शिक्षण	सत्रीय वर्ष व ा तथा अन्य से हुई प्राप्ति	के दौरान फीस सभी प्रकार की त्यां				
		(11)	पिछले रूप में	वित्तीय वर्ष प्राप्त प्राप्ति	के दौरान दान यां	के			
		(ঘ)	पिछले और र्	वित्तीय वर्ष वेस्तार कार्यः	के दौरान पराम् क्रमों से प्राप्तिय	ार्श कार्य ां			
		(ভ) •		ने वित्तीय वर्ष अनुदान की	के दौरान सरव रकम	नार से			
		(च)	पिछद	ने वित्तीय वर्ष	के दौरान निवे	शों से आय			
								हां नहीं	
	30.	आय	की तुल	नना में व्यय	की अधिकता				
		आय कित	की तुर ानी अधि	लना में व्यय ाक है	की रकम				
	31	संस् ⁸ की	थान के लेखा-प	पिछले वित्ती रीक्षा कर ली	य वर्ष के लेखों गई है				
		बन्द	शेबस्ती '	निधि और अ	गरक्षित निधि				
	32	. (ক) बन्द	दोबस्ती निधि	की रकम				
		(ख	ा) आ	रक्षित निधि	की रकम	, .		Attestort	
							भं रत सरव	्री चंत्रक (प्रशासन) कार, प्रकाशन विभाग ज्ञाइन्स, दिल्ली—54	/ı <i>(</i>

(ग) बन्दोबस्ती निधि एनसीटीई के साथ संयुक्त रूप से रखी जाती है हां नहीं

33. संस्थान का सारवृत्त

पिछले शैक्षणिक सन्न के दौरान संस्थान के समग्र निष्पादन पर एक संक्षिप्त मूल्यांकन तथा भावी विकास के लिए योजनाएं ।

(संस्थान के अध्यक्ष / प्रिंसीपल के हस्ताक्षर)

[फा. सं. 61-33/2001-डैस्क (टीई)/ईई-10] सुश्री वृन्दा स्वरूप, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :--मूल नियमावली दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 के सं. सा.का.नि. 698(अ) के रूप में प्रकाशित की जा चुकी है।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (Department of Elementary Education and Literacy) NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2003

G.S.R. 747(E).—In exercise of the powers conferred by Section 31 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the Central Government hereby makes the following amendments in the National Council for Teacher Education Rules, 1997, namely:-

- 1. Short title and commencement (1) These rules may be called the National Council for Teacher Education (Amendment) Rules, 2003.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the National Council for Teacher Education Rules, 1997 (herewith referred to as the said rules), for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:-
- "8. Inspection (1) The Council may inspect the recognized institutions in the manner specified in sub-rules (2) to (8)
- (2) The Council shall approve a panel of names of experts in teacher education or educational administration who may be able to inspect the recognized institutions. The Chairman shall nominate at least two persons out of the panel of experts to a inspection team.
- (3) The Council shall give a notice of its intention to the institution alongwith a questionnaire in Form 'IV' seeking information within fifteen days on all relevant matters relating to the institution.
- (4) On receipt of the completed questionnaire, the Council shall communicate the names of the members of inspection team and the date of inspection to the institution.
- The institution to be inspected shall nominate its one officer or employee, to be associated with the inspection team.

राहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग १सेविल लाइन्स, दिल्ली–54

- (6) The inspection team shall ascertain as to whether the institution is functioning in accordance with the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder.
- (7) The members of the inspection team may, if deem necessary, interact with the faculty members and other employees of the institution.
- (8) The inspection team shall submit its report to the Council within a period of fifteen days from the last day of the inspection."
- 3. In the said rules, after Form III, the following form shall be added, namely:-

"Form IV (See sub-rule (3) of rule 8)

QUESTIONNAIRE FOR INSPECTION

Inspection of Recognised Institutions

(Under Section 13 of the National Council for Teacher Education Act, 1993)

Self-appraisal Format

Profile of the Teacher Education Institution

Address for communication	
Cade)	
Phone No. (with STD Code)	
	Andre 2
Phone No. (with STD Code) Fax No. E-mail	

DHerlist

Course(s) offered

1	2	3	. 4	5
Name of the course in	Stage/level	Duration	Year of starting	Intake
full			the course	approved
2.2				
,				

Reg	ional Committee granting gnition/Permission (course wise)	
Mod	e of selection of candidates :	Yes N
(a)	Centralised test at the state level	
(b)	Test conducted by the university	
(c)	Test conducted by the institution	
(d)	Test conducted by an independent agency	
(e)	Based on marks obtained in the qualifying examination	
(f)	By the management	
Crit	eria for admission	
(a)	As per National Council for Teacher Education norms	
(b)	Norms superior to National Council for Teacher Education	
(c)	In relaxation of National Council for Teacher Education norms with respect to minimum percentage of marks	
(d)	In relaxation of National Council for Teacher Education norms with respect to qualifying course	
(e)	In relaxation of special eligibility provisions of National Council for Teacher Education norms such as participation in national/regional/state/university level events	
٠.	In relaxation of professional experience	

सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

	(g)	In relaxation of professional experience and performance in qualifying course
12.	Acad	emic calendar of the outgoing academic session D D M M Y Y
	(a)	Start of admission D D M M Y Y
	(b)	Closure of admission D D M M Y Y
	(c)	Start of teaching D D M M Y Y
	(d)	Last teaching day
	(e)	Number of teaching days
	(f)	Number of days of vacation/break during the academic session
13.	Prac	tice Teaching at School
	(a)	Total number of practicing teaching days
	(b)	Minimum number of practice teaching lessons given by each student
14.	Pre-	practice teaching at the institution
	(a)	Number of pre-practice teaching days (simulated/micro-teaching/any other)
	(b)	Minimum number of pre-practice teaching lessons given by each
	(c)	Total number of demonstration lessons held
15.	Exar	ninations
	(a)	Number of sessional tests held for each paper
	(b)	Number of assignments for each paper D D M M Y Y
	(c)	Date of commencement of annual examination D D M M Y Y
	(d)	Date of declaration of result D D M M Y Y
	(e)	Date of submission of dissertation (Post-graduate course)

भाहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग भिवेल लाइन्स, दिल्ली–54

2679 GI/03-3

(h)

(i)

(j)

भारत सरकार, प्रकाशन विभागः सिविल लाइन्सः दिल्ली-54

625

Number of teachers yet to obtain post-graduate degree in education

Number of teachers yet to qualify NET/SLET

Number of teachers without school experience

19.	Pr	ofessional Development of Teachers
	(a)	Number of teachers who attended in-service courses during the preceding year
	(b)	Number of teachers enrolled in part-time post-graduate course in education (MEd/MA (Education)/M.Phil)
	(c)	Number of teachers enrolled in full-time post-graduate course in education (M.Ed./M.A (Education)/M.Phil)
	(d)	Number of teachers enrolled in Ph.D. programme
	(e)	Number of teachers who participated in seminars/conferences/ workshops
	(f)	Number of papers published by the teachers
	(g)	Number of teachers who received professional recognition/ awards
20.	Lar	nd and Building
	(a)	Institution functions from its own building Yes No
	(b)	Institution functions from a rented building
	(c)	Institution building is under construction
	(d)	Institution building is shared for running another course(s)
	(e)	Title of the land is on free-hold ownership basis
	(f)	Title of the land is on long-lease as per law
1.	Edu	cational Technology
	(a)	Number of computers with supporting accessories
	(b)	Access to Internet Yes No
		Swall Luis
		गहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग
		भिविल लाइन्स, दिल्ली-54

[भाग]]-	— ভ্রত্ত 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
	(c)	Number of hands - on experience hours provided to each student per week	
	(d)	Number of education related CD-ROMs available	
	(e)	Number of education related video-cassettes available	
	(f)	Number of education related audio-cassettes available	
	(g)	Website of the institution	
	(h)	Availability of Liquid Crystal Display (LCD)	
	(i)	Availability of Over-Head Projector (OHP)	
	(j)	Availability of Tele-Vision (TV)	
	(k)	Availability of Video Cassette Recorder (VCR)	
	(l)	Availability of public-address system	
22.	Libra	ary resources	*
	(a)	Number of books in the library	
	(b)	Number of books added to the library during the preceding year	
	(c)	Total Number of educational journals/periodicals being subscribed	
	(d)	Number of encyclopaedia available in the library	
	(e)	Number of books available in the reference section of the library	
	(f)	Total seating capacity in the library	
		भर न अर्क	भूमकर्मा नियंत्रक (प्रशासन) गर, प्रकाशन विभाग गडन्स, दिल्ली–54

2679 GI/03-4

23.	S	ports and Physical Education Resources
	In	Yes No
	(a	Playground (football/hockey etc.)
	(b)	Playground (football/hockey etc.) of another institution on sharing basis
	(c)	Gymnasium/Multipurpose hall
	(d)	Facilities for gymnasium
	(e)	Facilities for athletics
	(f)	Facilities for Health Education
	(g)	Facilities for Anatomy Lab
	(h)	Facilities for Physiology Lab
Org	anisa	tion and Management
24.	Inst	Yes No
	(a)	Government owned
	(a)	Aided
	(b)	Unaided
	(c)	University Department
25.	(a)	Minimum emoluments (basic pay and allowances) paid to teachers on regular appointment is
	(b)	Minimum emoluments (basic pay and allowances) paid to teachers on adhoc service is
	(c)	Minimum consolidated remuneration paid to teachers is
	(d)	Per lecture honorarium paid to guest lecturers is
		Yes No
		A Highet a - D

भहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग । सेविल लाइन्स, दिल्ली–54

· .	ण्ड 3(i)]	
п—в	00 3(1)]	भारत का राजपत्र : असाधारण
26.	(a)	Salaries are paid in cash
	(b)	Salaries are paid through account payee cheque
27.	(a)	Salaries are disbursed each month
	(b)	Teachers are paid salary for the vacation period
Expe	nditui	re and Receipts
28.	(a)	Salaries paid to teaching staff during the preceding financial year
	(b)	Salaries paid to non-teaching staff during the preceding financial year
	(c)	Amount spent on utilities during the preceding financial year
	(d)	Amount spent on purchase of books and journals for the library during the preceding financial year
	(e)	Amount spent on purchase of equipment during the preceding financial year
	(f)	Amount spent on purchase of furniture during the preceding financial year
	(g)	Amount spent on capital expenditure during the preceding financial year
	(h)	Amount spent on contingencies during the preceding financial year

29. (a) Amount carried forward from the previous financial year

Receipts from fees (tuition and all other fees) during the preceding financial year (b)

(c) Receipts from donation during the preceding

financial year phialist

राहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग 1सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

22	:		THE GAZETTE OF IN	IDIA : EXTRAORDINARY	[Part II—Sec. 3(i)]
	(d)		m consultancies and logrammes during the nancial year		
	(e)	Amount of governments year	grants received during the preceding	from the	
	(f)	Income fro preceding fina	The Carrent Court of the	uring the	
30.	Ėxce	ss of expenditu	e over income		Yes No
	Amo	unt of excess ex	penditure over income	е.	
31.	The audit	institutional accord	ounts of the preceding	ng financial year have beer	ı
Endo	wmen	t fund and Re	serve Fund		
32.	(a)	Amount of En	dowment fund		
	(b)	Amount of Res	serve fund		
	(c)	Endowment fu	nd is maintained joint	ly with NCTE	Yes No
33.	R	esume of the in	istitution		
	Brief appraisal of the overall performance of the institution during the preceding academic session and plans for future development may be given.				
			(Signature	of the Head of the Institution	n/Principal)
			(Signature of the N	Manager/Secretary of the So	ciety/Trust)
				[F. No. 61-33/2001-De	
				Ms. VRINDA SA	ARUP, Jt Secy.
Fo	ootnote	: The principal	ules were published vic	de G.S.R. 698(E), dated 3rd D	December, 1997.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

पहायक नियंत्रक (प्रशासन) । भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग भिविल लाइन्स, दिल्ली–54